पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2014 ई0 (माघ 05, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	17–21	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	15–19	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	3	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2013 ई0

संख्या 5667/XX–3/2013–05(08)2013–श्री राज्यपाल महोदय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 32, सन् 2012) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लैंगिक अपराधों के मामलों के विचारण हेतु मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति से जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी के जिला एवं सत्र न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत बाल संरक्षण यौन अपराध से सम्बन्धित मामलों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2013 ई0

संख्या 3730/XVII–1/2013–13(45)/2013–मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या 2458/एम0एस0/2013 में समाज विकास एवं कल्याण समिति बनाम राज्य व अन्य में याची द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि––

(a) to issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent not to stop issuance of the scheduled caste certificates to the scheduled caste/Shilpkars of the (sub) caste Koli.

(b) to issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondent to keep continue issuing the scheduled caste certificates to the persons/Shilpkars of the sub caste Koli.

(c) to issue any other writ order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in he circumstances of the present case.

(d) to allow this writ petition and award the cost of it in favour of the petitioners.

उत्तराखण्ड में निवासरत शिल्पकार जाति के लोगों की अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में प्रशासनिक स्तर (यानि जिला एवं तहसील स्तर) पर कठिनाई आ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि शासनादेश के क्रम संख्या 64 में शिल्पकार जाति के श्रेणी दर्शाया गया है, उसमें सम्मिलित विभिन्न जातियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया, जबकि उत्तराखण्ड में शिल्पकार नाम की अलग से कोई जाति न होकर "शिल्पकार" जातियों का एक समूह है।

शिल्पकार जाति में सम्मिलित उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए शासन स्तर से दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु समय–समय पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे श्री हरि सिंह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कोली समाज विकास एवं कल्याण समिति (रजिस्टर्ड), देहरादून एवं श्री हीरालाल टम्टा, महासचिव, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति, पौड़ी–गढ़वाल, उत्तराखण्ड, तत्कालीन जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के माध्यम से शासन से मांग की जाती रही है। तत्कालीन प्रमुख सचिव, उत्तरांचल सचिवालय द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों (कुमायूं/गढ़वाल) को निर्देशित किया गया कि वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार दस्तकारी में संलग्न जातियों का एक समूह है, जैसे लोहार, टम्टा, औजी, बेड़ा, इत्यादि।

अतः पूर्व में इस समुदाय की जो व्याख्या दी गई है, वही उपयुक्त मानी जाय।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल, 1986 में शिल्पकार जाति की अन्य जातियों के नाम का उल्लेख किया गया है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा शासन के पत्र संख्या–148, दिनांक 14.02.2008 के द्वारा उत्तराखण्ड के गढ़वाल/कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में मूलतः निवास करने वाले बढ़ई, लोहार, सोनार, दर्जी, गद्दी, केवट, धुनार, ताम्रकार (टम्टा), मिस्त्री आदि का काम करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) का प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शिल्पकारों की सभी उपजातियों को उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

मा0 लोकायुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून में दायर परिवाद संख्या–284, वर्ष 2005 शिकायतकर्ता श्री बृजमोहन पुत्र श्री केवल राम, ग्राम झण्डीचौड़, कोटद्वार, जिला–पौड़ी के प्रतिवेदन (45/2007) में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं कि पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत लोहार, सुनार, बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी आदि पूर्व से अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की श्रेणी में आने से इन वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की सभी सुविधायें शासन द्वारा दी जा रही हैं। ये जातियां मैदानी क्षेत्र की न होकर पर्वतीय मूल की रही हैं तथा पर्वतीय मूल की जातियाँ पूर्व से अनुसूचित जाति में मानी गई है।

अतः उक्तानुसार ही उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट की गई जातियों को ही जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जायें।

मा0 लोकायुक्त द्वारा दिनांक 14.02.2006 में तत्कालीन अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपस्थित होकर उनके द्वारा वर्ष 1931 में देश में की गई जनगणना के सम्बन्ध में "Census of India" 1931 Part I Report, "United Province of Agra and Outh" Anthropological Survey of India द्वारा प्रकाशित पुस्तक "People of India" Part 3 व "The Himalayan Gazetteer" की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, यह कहा गया कि लोहार, बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी एवं टम्टा आदि जातियाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं। लोकायुक्त द्वारा यह इंगित किया गया कि मेरे समक्ष अन्य संगठनों, उत्तराखण्ड कोली समाज व प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति, पौड़ी गढ़वाल द्वारा भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ई, लोहार, सुनार, बसेरा, ठठेरा, ताम्रकार इत्यादि शिल्पकारों की उपजातियां उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में सदैव से मानी जाती रही हैं और उनके साथ सवर्ण जातियों द्वारा छुआ–छूत का बरताव किया जाता है।

अतः उचित होता कि प्रशासन इस विषय में समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने के पश्चात् सुस्पष्ट नीति निर्धारित करता ताकि पारित आदेशों में जो भ्रान्तियां, विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उनका निराकरण सम्भव हो सकता। मा0 लोकायुक्त द्वारा निम्न संस्तुतियां की :–

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय/अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार से विचार विमर्श करने के पश्चात् यह निर्णय लें कि क्या उत्तराखण्ड प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में निवास करने वाली अठपहरिया, औजी, बढ़ई, बेड़ा, भाट, कुम्हार, कोली, लोहार, रूड़िया, सुनार, पुहसी, जोगी, सोनार, छीपि, धोबी, कोलई, झुमरिया, टम्टा, कसेरा, धलोटी, बलूडिया, कोल्टा, हलिया, हुड़किया, भूल, चुनरिया आदि जातियों को शिल्पकार की उप जातियां मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र देना उचित है ?

यह अपेक्षा की गयी है कि शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परतंत्र भारत में सन् 1921 की जनगणना की रिपोर्ट Vol XVI pro+II 1921 के पृष्ठ सं0 228 की TABLE XIII में Detail of the sub-castes of Hill depressed classes का उल्लेख है, जिसमें कोली, टम्टा, लोहार, अगरी तिरूवा आदि विभिन्न जातियों का समूह है, जो वर्तमान में शिल्पकार जातियों के नाम से जानी जाती है।

सन् 1931 की जनगणना "CENSUS OF INDIA, 1931 UNITED PROVINCES OF AGRA AND OUDH, VOL. XVIII, PART 1-REPORT BY A.C. TURNER, M.B.E., I.C.S., SUPERINTENDENT, CENSUS OPERATIONS" के पृष्ठ सं0 553–563 तक कुमाऊँ डिवीजन एवं टिहरी गढ़वाल राज्य, जिसे अब गढ़वाल मण्डल के नाम से जाना जाता है, में शिल्पकार जाति का उल्लेख है। इसमें भी उन्हीं जातियों को जिसमें कोली, टम्टा, लोहार, मिस्त्री आदि जातियां सम्मिलित हैं।

सन् 1941 की जनगणना V-TOWNS ARRANGED TERRITORIALLY WITH POPULATION BY COMMUNITIES में शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उप जाति का उल्लेख किया गया है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के पत्र संख्या–5–140/07–Estt/(II), दिनांक 04.03.2009 के साथ संलग्न Communities, Segments, Synonyms, Sir Names and Titles Vol.-VIII के पृष्ठ–1769 से 1772 तक शिल्पकार की उपजातियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

"CENSUS OF INDIA," 1961 Vol.-I Part-V-B(iii) showing consolidated statement of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Denitrified communities and other communities of similar status in different status and census starting from 1921 by A. Mitra, ICS के पृष्ठ–86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114 में भी शिल्पकारों की इन जातियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

वर्ष 1961 की जनगणना से पूर्व जनगणना प्रगणकों को दिए गए निर्देशों में भी शिल्पकारों की उपजातियों का पर्यायवाची एवं वर्गीय नाम सहित स्पष्ट वर्गीकरण दिया गया है, जो कि Publication No. P.S.U.P.A.P. Census 1960, 143000 में वर्णित है।

स्वतंत्र भारत के अखण्डित उत्तर प्रदेश में भी Publication No. U.P.-A.P.-1 CENSUS–1960–1,43,800 इन जातियों को भी शिल्पकार घोषित किया, तद्नुसार इन उपजातियों का प्रमाण–पत्र शिल्पकार नाम से समय–समय पर जारी हो रहे हैं, जिसमें कोली जाति भी सम्मिलित है।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–2/23–68/35/जनजाति (ह0क0) लखनऊ दिनांकित 07 अप्रैल, 86 में भी शिल्पकार जाति की उपजातियों का खुलासा करते हुए आदेश पारित किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, जो तद्समय पर्वतीय मंत्रालय के अधीन था, द्वारा भी दिनांक 24.04.1996 को श्री एस0एस0 पांगती, प्रमुख सचिव द्वारा आदेश संख्या–223/उ0ख0दे0/96 में भी भ्रान्तियों को दूर करने के लिए समस्त जिलाधिकारी, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल को यह लिखकर दिया कि "वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार की दस्तकारी में संलग्न जातियों का समूह है, जैसे लौहार, रूडिया, टम्टा, औजी, बेड़ा इत्यादि।"

शासनादेश संख्या–12025/1/2008–एस0सी0डी0 (आर0एल0 सैल) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–1, दिनांकित 31.03.2008 में उल्लेख है कि शिल्पकार जाति उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं0 64 पर अधिसूचित है। अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र जारी करने तथा सत्यापन का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार का है। अतः राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि अधिसूचित जातियों के नाम से ही अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र निर्गत हों अर्थात् भारत सरकार भी 2008 से यह चाह रही है कि शिल्पकार जातियों की स्थिति स्पष्ट की जाए, इसलिए भी उपरोक्त शासनादेश के क्रमांक–64–शिल्पकार के सम्मुख उपजातियों को खोला जाना आवश्यक है।

चूंकि उत्तराखण्ड सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट संख्या–26/2012 में भी कोली जाति को शिल्पकार मानते हुए सरकार का मत मा0 उच्च न्यायालय में रखा है, अतः वर्तमान भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के भाग–24–उत्तरांचल के क्रमांक–64 पर अंकित शिल्पकार जाति के अधीन निम्नलिखित उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है :–

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति/पर्यायवाची नाम
1	2
1.	आगरी या अगरी
2.	औजी या बाजगी, ढोली, दास, दर्जी (जो अनुसूचित जाति के हैं)
3.	अटपहरिया
4.	बादी या बेडा
5.	बेरी, बैरी
6.	बखरिया

1	2
7.	बढ़ई (जो अनुसूचित जाति के हैं)
8.	बोरा (जो अनुसूचित जाति के हैं)
9.	भाट
10.	भूल, तेली (जो अनुसूचित जाति के हैं)
11.	चनेला, चन्याल
12.	चुनेरा, चुनियारा
13.	डालिया
14.	धलोटी
15.	धनिक
16.	धोनी
17.	धुनिया
18.	ढौडी या ढोंडिया
19.	कोल्टा
20.	होबियारा
21.	हुड़किया, मिरासी (जो अनुसूचित जाति के हैं)
22.	जागरी या जगरिया
23.	जमारिया
24.	कोली
25.	कुम्हार (जो अनुसूचित जाति के हों)
26.	लोहार, ल्वार (जो अनुसूचित जाति के हों)
27.	राज, ओड, मिस्त्री (जो अनुसूचित जाति के हों)
28.	नाई (जो अनुसूचित जाति के हों)
29.	नाथ या जोगी (जो अनुसूचित जाति के हों)
30.	पहरी या प्रहरी
31.	पातर
32.	रौन्सल
33.	रूडिया या रिंगालिया
34.	सिरडालिया
35.	सुनार या सोनार (यदि अनुसूचित जाति के हों)
36.	टम्टा, तमोटा, ताम्रकार (यदि अनुसूचित जाति के हों)
37.	तिरूवा
38.	तूरी

उपरोक्त वर्णित जातियों के व्यक्ति को जारी होने वाला अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र "शिल्पकार" जाति के नाम से जारी किया जाएगा।

उक्त शासनादेश केवल शिल्पकार जाति की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए वर्गीकरण जारी किया जा रहा है। इसमें कोई नई जाति सम्मिलित नहीं की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में अनुसूचित जाति (S.C.), अनुसूचित जनजाति (S.T.), तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) के लिए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)/2013, दिनांक 02.04.2013 यथावत् रहेगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/15–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2014 ई0 (माघ 05, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

21 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 2840/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र प्ररूप–XVI/फार्म–11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री यादव फूड्स लि0, रुद्रपुर रोड, किच्छा, टिन–05004594624	प्ररुप–11 (01)	U.K.VAT B-2008 086517	खोने के कारण
2.	सर्वश्री कुमार इन्जीनियरिंग, किच्छा, टिन–05008301382	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1615985	खोने के कारण
3.	सर्वश्री कुमार इलैक्ट्रीकल्स, किच्छा, टिन–05006782750	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0320644	खोने के कारण
4.	सर्वश्री डी0आर0 जॉन्स लैब प्रा0लि0, प्लॉट नं0–3, सेक्टर 6ए, सिडकुल, हरिद्वार, टिन–05005446478	प्ररुप–XVI (34)	U.K.VAT-M 2012 from 1319657 to 1319691	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

24 सितम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 2907/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र, फार्म–11/ओ0सी0 टिकट, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री आयुष वैबरेजस, मिस्सरपुर, कनखल, हरिद्वार, टिन–05008807528	प्ररुप–11 (02)	U.K.VAT B-2008 87268, 87270	खोने के कारण
2.	सर्वश्री संत स्टील एण्ड एलॉईज प्रा0लि0, जशो0,कोट0, टिन–05002883544	ओ0सी0 टिकट (35)	U.K./AA-2008 1050485 to 1050489, 1054836 to 1054837, 1054858 to 1054885	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

03 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 3040/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र, फार्म–16/फार्म–11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री रुद्रपुर साल्वेंट प्रा0लि0, किच्छा, टिन–05004536618	प्ररुप–11 (01)	U.K.VAT C-2009 269664	खोने के कारण
2.	सर्वश्री अरोमा क्राफ्ट एण्ड टिश्यू प्रा0लि0, गाँव नूरपुर, जिला हरिद्वार, टिन–05007869829	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 0722977, 0723135	खोने के कारण
3.	सर्वश्री वर्धमान मार्बल्स, तुलसी विहार, श्यामपुर, ऋषिकेश, टिन–05003648486	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1916152	खोने के कारण
4.	सर्वश्री कपूर स्टील क्राफ्ट्स, पटेल रोड, देहरादून टिन–05001073621	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2151370	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 3259/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र, फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री रतन सीड्स प्रा0लि0, काशीपुर, टिन–05002575860	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1737970	खोने के कारण
2.	सर्वश्री सिंघल स्पिनटैक्स प्रा0लि0, काशीपुर, टिन–05008674250	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0302011	खोने के कारण
3.	सर्वश्री महेन्द्रा ऑटो मोबाइल्स, रुद्रपुर, टिन–05004487342	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0188460	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 3963/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	3	5
1.	सर्वश्री ऐरिज ड्रग्स (प्रा0) लि0, पन्तनगर, टिन–05006500480	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2318671	खोने के कारण
2.	सर्वश्री नायक इण्डस्ट्रीज, ग्राम ढकिया, काशीपुर, टिन–05008764945	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0238419	खोने के कारण
3.	सर्वश्री न्यूटैक इण्डस्ट्रीज, शिवलोक कॉलोनी, हरिद्वार, टिन–05001878624	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2915143	खोने के कारण
4.	सर्वश्री लोटस इन्फ्रा प्रॉजेक्ट प्रा0लि0, 296/2, N.H.–58, बहादराबाद, हरिद्वार, टिन–05007626165	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0692285	खोने के कारण
5.	सर्वश्री लाईफ स्टाइल इन्टर नेशनल प्रा0लि0, पैसेफिक मॉल, जाखन राजपुर रोड, देहरादून, टिन–05012997540	प्ररुप–XVI (100)	U.K.VAT-M 2012 3123166 to 3123265	खोने के कारण

1	2	3	3	5
6.	सर्वश्री गुप्ता साल्ट स्टोर, मैन रोड, सहसपुर, विकासनगर, टिन–05013439569	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 3167908, 3167909	खोने के कारण
7.	सर्वश्री अभिषेक गारमेन्ट्स, हरी विष्णु मार्केट, रुड़की, टिन–05003898455	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 0755674, 0755675	खोने के कारण
8.	सर्वश्री दिव्यांश एण्टरप्राईजेज, 253, चाव मंडी, रुड़की, टिन–05007377845	प्ररुप–XVI (05)	U.K.VAT-M 2012 0757144 to 0757148	खोने के कारण
9.	सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, काशीपुर, टिन–05002620383	प्ररुप–XVI (12)	U.K.VAT-M 2012 1651344, 1651414 to 1651418, 1651541, 1651568 to 1651572	खोने के कारण

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

01 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 3512/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	3	5
1.	सर्वश्री शील चन्द्र फ्लोर मिल्स (प्रा0) लि0, हल्द्वानी, टिन–05001666291	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0023870	खोने के कारण
2.	सर्वश्री बहल पेपर मिल्स लि0, काशीपुर, टिन–05005673167	प्ररुप–XVI (13)	U.K.VAT-M 2012 0309244, 0309278, 0309409, 0309496, 0309754, 0309802, 1451090, 1451518, 1451897, 1451912, 1452024, 1451086, 1643351	खोने के कारण
3.	सर्वश्री चारू स्टील्स लि0, कोटद्वार टिन–05002789842	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0630177	खोने के कारण
4.	सर्वश्री दिशाना पॉलीप्लास्ट इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0–340, लखेश्वरी, नियर अम्बुजा फैक्ट्री, भगवानपुर, रुड़की, टिन–05006616007	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1297200	खोने के कारण
5.	सर्वश्री लुथरिया इण्डस्ट्रीज, बी–4ई, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, रुड़की, टिन–05007968866	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 2807739	खोने के कारण

1	2	3	3	5
6.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर, टिन–05002454125	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 0344111	खोने के कारण
7.	सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, काशीपुर, टिन–05002620383	प्ररुप–XVI (13)	U.K.VAT-M 2012 0299115, 0299120, 0299143 to 0299147 1651131, 1651208 to 1651212	खोने के कारण
8.	सर्वश्री श्री दुर्गा ऑयल मिल, किच्छा, टिन–05004560674	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 0320402, 0320403	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/15–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2014 ई0 (माघ 05, 1935 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, श्रीनगर, गढ़वाल

संशोधित विवरण (उपविधि)

03 जनवरी, 2014 ई0

पत्रांक 805/02–अधि0अधि0(गजट)/2013–14–नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची 'त्र' के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, श्रीनगर, गढ़वाल ने अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियम में संशोधन करने के लिए पालिका परिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2013 में प्रस्ताव सं0–106 पारित किया गया है।

व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपनियमों के क्रम में प्रकाशित उत्तर प्रदेश गजट 28 फरवरी, 1997 के पृष्ठ सं0 1004 की अनुसूची के 05–दुकान के क्रम सं0–30, व्यवसायिक लाइसेन्सों में उल्लिखित दरों एवं संशोधित दरों की तालिका निम्नलिखित है :–

अनुसूची

वर्तमान			संशोधित		
क्रमांक	विवरण (मद)	दर	क्रमांक	विवरण (मद)	दर
30.	विदेशी शराब की दुकान	₹ 8,000	30.	विदेशी शराब की दुकान	₹ 5,00,000 (पाँच लाख रु0)

बिपिन चन्द्र मैठानी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
श्रीनगर, गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/15–भाग 8–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।